



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(तृतीय पक्षकार प्रशासक - स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2001
(Third Party Administrator – Health Services) Regulations, 2001

अनुज्ञित के नवीकरण का प्रमाणपत्र

CERTIFICATE OF RENEWAL OF LICENCE

अनुज्ञित सं.

License No. 20

1. प्राधिकरण, उसे आदेश की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए GENINS INDIA TPA LTD.

को, तृतीय पक्षकार प्रशासक के रूप में कार्य करने की अनुज्ञित को नवीनीकृत करता है।

1. In exercise of the powers enjoined on the Authority, it hereby renews the licence of GENINS INDIA TPA LTD. to act as Third Party Administrator.

2. यह अनुज्ञित 11/06/2014 से 10/06/2017 तक विधिमान्य होगी।

2. This license shall be valid from 11/06/2014 to 10/06/2017.

3. यह अनुज्ञित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4), बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्षकार प्रशासक - स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2001 के अध्यर्थीन है, और इसे किसी अन्य अधिनियम, नियम या विनियम के अनुपालन में या उसके अनुरूप नहीं समझा जायेगा।

3. This licence is subject to the Insurance Regulatory and Development Authority, Act, 1999 (4 of 1999), Insurance Act 1938 (4 of 1938) and Insurance Regulatory and Development Authority (Third Party Administrator) Regulations, 2001 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity with any other Act, rules and regulations.

स्थान: हैदराबाद

Place: Hyderabad

तारीख

Date: 15/04/2015

11

कृते

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

For and on behalf of

Insurance Regulatory and Development Authority